# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 303/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 04.08.2026

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

आजमगढ़ सहित कई जनपदों में ठगी/चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय टप्पेबाज गैंग का सरगना मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार

पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे गैंग के सरगना को जवाबी कार्रवाई में लगी गोली, सरगना के साथ उसके 04 अन्य साथी गिरफ्तार, अवैध तमन्चा-कारतूस, 01 वाहन व ठगी का माल बरामद

मुठभेड़ का विवरण- आज दिनांक 04.08.2026 को प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह मय हमराह, उ0नि0 रंजन कुमार साव मय हमराह, उ0नि0 मुरारी मिश्रा व उ0नि0 जावेद सिद्दीकी मय हमराह चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की तलाश में छतवारा चौराहे पर मौजूद थे कि सूचना मिली कि कुछ शातिर अपराधी जो दवाओं की आड़ में ठगी का कार्य करते हैं मारुति 800 वाहन से खेमऊपुर होते इटौरा के रास्ते आजमगढ की तरफ आ रहे हैं तथा किसी घटना के अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर मय पुलिस बल ने खेमउपुर रोड नहर पुलिया पर चेकिंग प्रारम्भ किया गया तथा कुछ समय पश्चात खेमऊपुर की तरफ से एक वाहन आता दिखाई दिया कि जिसे संदेह होने पर रोकने का प्रयास किया गया तो भागने लगा। उक्त वाहन में बैठे व्यक्ति बाहर निकले तथा पुलिस बल को जान से मारने की धमकी देते हुए भागने लगे तथा 01 व्यक्ति पुलिस बल को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नियत से फायर करने लगा, पुलिस बल द्वारा आत्मसमर्पण करने की पर्याप्त चेतावनी के पश्चात आत्मसुरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी जिसमें 01 बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी जिसे सुबह करीब 05.45 बजे हिरासत मे लेकर इलाज हेतु सदर अस्पताल रवाना किया गया तथा मौके से 04 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान ध्यान सिंह पुत्र अतर सिंह निवासी वाकरपुर अटायन थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद उम्र 34 वर्ष के रुप में हुयी। जिसके पास से 01 तमंचा, 02 जिन्दा कारतुस 315 बोर, 01 खोखा कारतुस, तीन हजार रुपये, 01 आधार कार्ड तथा विभिन्न दवाखाना के कुल 12 विजिटिंग कार्ड बरामद हुआ।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 324/2026 धारा- 109(1), 318(4), 338, 336 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. ध्यान सिंह पुत्र अतर सिंह निवासी वाकरपुर अटायन थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद उम्र 34 वर्ष (मुठभेड़ में घायल)
2. छत्रपाल पुत्र गोपाली निवासी गदरपुर सकैनिया थाना गदरपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड उम्र 42 वर्ष
3. कुलदीप पुत्र चुन्ना निवासी भिलकलालु वाला थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 35 वर्ष
4. राजा पुत्र सुनील निवासी वाकरपुर अटायन थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 20 वर्ष
5. सरिता सिंह पत्नी ध्यान सिंह निवासिनी वाकरपुर अटायन थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 34 वर्ष

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि उनका एक गैंग है तथा वे सब मारुति 800 वाहन से गांव - शहर में घुमकर दवा बेचने के नाम पर जनता में सम्पर्क कर उनको यौन रोग सम्बन्धी कमजोरी की बातों में फंसाकर प्रलोभन देकर नकली दवा देते हैं तथा दवा के एवज में मोटी रकम ले लेते हैं। दिनांक 02/8/2026 को अभियुक्तों ने पवई में एक दुकान से करीब 5000 रुपये की चोरी किये थे।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 324/2026 धारा- 109(1)/318(4)/338/336 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 तमंचा, 02 जिन्दा कारतुस 315 बोर, 01 खोखा कारतुस, तीन हजार रुपये, 01 आधार कार्ड तथा विभिन्न दवाखाना के कुल 12 विजिटिंग कार्ड, 01 चार पहिया वाहन

आपराधिक इतिहास-

ध्यान सिंह पुत्र अतर सिंह निवासी वाकरपुर अटायन

1.मु0अ0सं0 49/2023 धारा 468/467/420/419 भादवि थाना पारा जनपद लखनऊ पश्चिमी कमिश्नरेट जनपद लखनऊ

2.मु0अ0सं0 91/2023 धारा 419/420/406/504/506 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 192/2026 धारा 305(A) BNS थाना पवई जनपद आजमगढ़

मुठभेड़/गिरफ्तारी में सम्मिलित पुलिस बल-

प्रभारी निरीक्षक सिधारी विनय कुमार सिंह, उ0नि0 रंजन कुमार साव, उ0नि0 मुरारी मिश्रा, उ0नि0 जावेद सिद्दीकी, हे0का0 शम्भुराम, का0 अंकुर शुक्ला, का0 रामहरीश, का0 शिवम शुक्ला व म0का0 सोनी गुप्ता , का0 राजेश कुमार , का0 सूरज मिश्रा व का0 आनन्द यादव व का0 अभिषेक कुशवाहा व का0 विनोद कुमार यादव व का0 गिरिजेश सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।